

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX-2, VISKHPATNAM

श्री आई.सुरेश बाबु भा.रा.से. Sri I.SURESH BABU I.R.S.,
आयकर आयुक्त - 2 Commissioner of Income Tax - 2,
विशाखपट्टणम Visakhapatnam

CIT-2/80G/34/2009-10

दिनांक Dated: 02-07-2009

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अधीन मान्यता/छूट का नवीकरण - आदेश जारी करने के संबंध में।

Sub: Renewal of exemption u/s 80G of the Incometax Act, 1961 - Passing of orders - Regarding.

संदर्भ: दिनांक 09-02-2009 को फार्म सं. 10G में फ़ाईल किया गया आपका आवेदन।

Ref: Your application in Form No. 10G filed on 09-02-2009.

आयकर आयुक्त-1, विशाखपट्टणम के दिनांक 24-04-2007 की कारवाही सं F.No.Tech.III/105/CIT-1/VSP/06-07 के अंतर्गत दिनांक 01-04-2007 से 31-03-2009 तक की अवधि के लिए मेसर्स सन्कर फ़ाउन्डेशन, साई माधावा नगर, वेपगुन्टा, विशाखपट्टणम, को दिए गए दान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(vi) के तहत छूट के लिए योग्य बताते हुए जारी प्रमाण पत्र की मान्यता एतद्वारा उपरोक्त धारा के अधीन निम्न लिखित शर्तों पर दिनांक 01-04-2009 से 31-03-2011 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

Certificate granted by proceedings of Commissioner of Income Tax-I, Visakhapatnam, in F.No.Tech.III/105/CIT-1/VSP/06-07 dated 24-04-2007 for the period 01-04-2007 to 31-03-2009 entitling the donations made to "M/s. SANKAR FOUNDATION", Sai Madhava Nagar, Naiduthota, Vepagunta, Visakhapatnam, to qualify for exemption u/s.80G(5)(vi) of the Income Tax Act, 1961 is hereby renewed under the aforesaid section for a further period from 01-04-2009 to 31-03-2011, subject to the following conditions.

1. 31-03-2009 को समाप्त होने वाली आय एवं व्यय का विवरण और आगामी वर्षों के संबंध में उक्त विवरण, संबंधित वर्ष के तीन माह के भीतर सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल 4(1), विशाखपट्टणम को प्रस्तुत करेंगे।

The applicant will submit the statement of Income and Expenditure for the year ended on 31.03.09 and subsequent years within three months of the closure of the relevant year to the Asst. Commissioner of Income Tax, Circle-4(1), Visakhapatnam.

2. सविधान में, यदि कोई संशोधन प्रस्तावित हो तो इस कार्यालय की अनुमोदन हेतु सूचित करेंगे।

Amendments, if any proposed to the constitution will be intimated to this office for approval.

3. दाताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश संख्या और वैधता की अवधि स्पष्ट लिखा होना चाहिए।

Receipts issued to the donor should bear the number and the period of validity.

Contd.....2

4. नवीकरण के लिए अनुरोध, स्थापित किए जाने वाली लेखा वर्ष की समाप्ति के एक महीने के भीतर उपर आयकर आयुक्त, रेंज-4, विशाखपट्टणम के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा और साथ में आय एवं व्यय लेखा एवं तुलन पत्र और सभी न्यासी/ऑफिस बेरर्स से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जिसमें यह उल्लिखित होना चाहिए कि संस्था द्वारा स्थापना की तिथि से अब तक आयकर अधिनियम की धारा 13(1)C के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है, भी जोड़ा जाए।

Request for renewal should be made through the Addl. Commissioner of Income Tax, Range4, Visakhapatnam, within one month from the accounting year of the institution with statement of Income and expenditure account and balance sheet and certificate signed by all the trustees/office bearers to the effect that the institution did not infringe the provisions of section 13(1)C of the IT Act from the inception to till date.



ह/- Sd/-

(आई. सुरेश बाबु I.SURESH BABU)

आयकर आयुक्त-2 Commissioner of Income Tax-2,
विशाखपट्टणम Visakhapatnam.

प्रतिलिपि सेवा में Copy to :

1. मेसर्स सन्कर फ़ाउन्डेशन, साई माधवा नगर, वेपगुन्टा, विशाखपट्टणम
M/s. Sankar Foundation, Sai Madhava Nagar, Naiduthota, Vepagunta, Visakhapatnam.
2. अपर आयकर आयुक्त, रेंज-4, विशाखपट्टणम
The Addl. Commissioner of Income Tax, Range-4, Visakhapatnam.
3. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल 4(1), विशाखपट्टणम
The Asst. Commissioner of Income Tax, Circle-4(1), Visakhapatnam.

सि वि टा रामाराव

(सि.वि.ए. रामा राव C.V.A. RAMA RAO)

आयकर अधिकारी (मुख्या.)-II Income Tax Officer (Hqrs.) - II
कार्यालय आ.आ.-II, विशाखपट्टणम O/o. The CIT-II, Visakhapatnam